

“सीमापार जल राजनीति: नील, मेकांग और सिंधु नदी का तुलनात्मक विश्लेषण”

Prof. Preeti Awasthi,¹ Kavita²

शोध सारांश -

यह शोध सीमापार जल साझा के संदर्भ में होने वाले वार्ताओं, संधियों तथा कूटनीतिक प्रयासों को दर्शाता है तथा नील, मेकांग और सिंधु नदी बेसिनो में सीमापार जल की राजनीति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इन तीनों नदी बेसिनो में जल संसाधनों के बंटवारे और प्रबंधन में बहुराष्ट्रीय हित और विवाद शामिल हैं, जो जल प्रबंधन और सहयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। नील नदी बेसिन में मिस्र और इथियोपिया के बीच **ग्रेड इथियोपियन रेनेसांस डैम (GERD)** को लेकर गंभीर विवाद है। मेकांग नदी बेसिन में चीन द्वारा बांध निर्माण ने नदी के निचली तटीय देशों में पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को जन्म दिया है। सिंधु नदी बेसिन में भारत और पाकिस्तान के मध्य सन् 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) ने जलसाझाकरण और जल विवाद समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन भारत सिंधु नदी संधि पर पुनर्विचार करने की ईक्षा जताई है, जिसका पाकिस्तान द्वारा विरोध किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में इन तीनों नदी बेसिनो जल को लेकर देशों के मध्य आपसी तनाव बनें रहते हैं। यह विश्लेषण पर्यावरणीय प्रभाव, शक्ति असमानताओं तथा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष एवं दिए गए सुझाव से जल प्रबंधन की चुनौतियों और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में योगदान देंगे।

शब्द कुंजी - नील नदी बेसिन, मेकांग नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन, जी.ई.आर.डी. (ग्रेड इथियोपियन रेनेसांस डैम), एन.बी.आई. (नील बेसिन इनीसीएटिव), आई.डब्ल्यू.टी. (इंडस वाटर ट्रीटी)।

प्रस्तावना -

सीमावर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र देशों द्वारा साझा की जाती हैं। विश्व भर में 263 से अधिक नदी बेसिन और 269 जलभृतों को दो या दो से अधिक देश साझा करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय नदी बेसिन दुनिया की लगभग आधी भूमि सतह को समावेशित करते हैं, जो लगभग 60 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय जल संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्व की लगभग 40 प्रतिशत आबादी का पालन पोषण करते हैं। चूंकि सीमावर्ती नदियां विभिन्न देशों से होकर

¹ Professor, department of political science, Awadh Girls' Degree college, Lucknow (University of Lucknow)

² Research Scholar (University of Lucknow)

गुजरती है, जिससे उन्हें कई प्रबंधन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख रूप से जनसंख्या वृद्धि, कृषि और उद्योग में नवपरिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षति और नदी प्रदूषण शामिल हैं।³

झीलों, नदियों और जलभृतों का अत्यधिक दोहन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को खतरे में डाल सकता है और जल आपूर्ति की प्रामाणिकता तथा स्थायित्व पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अगर ये प्रभाव सीमा के दूसरी तरफ अधिक तीव्रता से महसूस किए जाते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय तनाव का कारण बन सकता है। यहाँ तक की एक स्पष्ट रूप से सकारात्मक कार्यवाही भी नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए एकतरफा निर्णय के तहत बांध बनाने से दूसरे देश में नदी के प्रवाह में भारी कमी हो सकती है। जिस तरीके से सीमावर्ती जल का प्रबंधन किया जाता है, वह देश की सीमाओं के भीतर और बाहर स्थायी विकास को प्रभावित करता है।⁴

21वीं सदी के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा है, विश्व में सीमित मीठे जल संसाधनों का प्रबंधन और आवंटन। चूंकि इन जल संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीमावर्ती है, समस्या की जटिलता वर्षों में बढ़ गई है। सीमावर्ती जल विवादों से निपटने के लिए मिस्र, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, और सूडान जैसे तटीय राज्य ज्यादातर जल कूटनीति तंत्र को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें संप्रभु राज्यों के राष्ट्रीय हितों और पहचानों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करने की प्रक्रियाएं और संस्थान शामिल होते हैं।⁵

नील नदी बेसिन -

नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह लगभग 3.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को समाहित करती है, जो अफ्रीकी महाद्वीप का लगभग दस प्रतिशत है। नील नदी के दो भाग हैं: ब्लू नील, जो इथियोपिया के लेक ताना से निकलती है, और व्हाइट नील, जो रवांडा की कागेरा नदी से शुरू होती है। ये दोनों नदी सूडान के खार्तूम में मिलती हैं और मिस्र की ओर बढ़ते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती हैं। नील नदी के 11 तटीय देश हैं; अर्थात्- बुरुंडी, कांगो

³ Diriba, H., Bulo, B., Barecha, K., Diriba, D., Diriba, B., & Fayera, M. (2021). *Transboundary Conflict Management of the Nile River Basin: Past, Present, and Future*. International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM), 3(9 sep 2021), 297-318. <https://doi.org/10.35629/5252-03097318>


⁴https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_transboundary_water_sep2018.pdf

⁵ <https://www.middleeastmonitor.com/20230907-a-significant-field-of-diplomacy-trans-boundary-water-politics/>

लोकतान्त्रिक गणराज्य, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, सूडान तंजानिया और युगांडा। नील नदी बेसिन की राज्यों की संख्या लगभग 400 मिलियन है, जिनमें आधे से अधिक (250 मिलियन) नील नदी से दैनिक जल आपूर्ति के लिए निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सन् 2050 तक नील की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, जिससे नील के जल प्रवाह पर दबाव बढ़ेगा, ताकि लगभग एक अरब की आबादी को बनाए रखा जा सके।

वर्तमान में, नील क्षेत्र की 10 प्रतिशत (40 मिलियन लोग) जनसंख्या जल संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि, यह अनुमान लगाया गया है की 2040 तक बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं जैसे नील नदी प्रवाह में परिवर्तनशीलता और मौसम की घटनाओं के कारण 35 प्रतिशत (80 मिलियन लोग) जल संकट का सामना करेंगे। दशकों से, नील बेसिन के लोग जटिल पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों ने नील जल के सतत प्रबंधन के लिए कठिनाइयाँ पैदा की हैं। इन समस्याओं में नदी के जल के नियंत्रण और उपयोग को लेकर विवाद तथा संघर्ष, अत्यधिक वंचना, खाद्य असुरक्षा, सुखा, बाढ़, उच्च जनसंख्या वृद्धि से बढ़ी पर्यावरणीय गिरावट, अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति, जल की कमी और बेसिन में संसाधन प्रबंधन पर सहयोग की कमी शामिल हैं।⁶

चित्र: 1. नील नदी बेसिन⁷



⁶ K. A., B. L., Kolas, A., Barkved, L., Edelen, K., Hoelscher, K., Holen, S., Jahan, F., Jha, H., & Miklian, J. (2013). *Water Scarcity in Bangladesh: Transboundary Rivers, conflict and Cooperation*. Peace Research Institute Oslo (PRIO).

⁷ स्रोत: Wheeler, K. G., Jeuland, M., Hall, J. W., Zagona, E., & Whittington, D. (2020). Understanding and managing new risks on the Nile with the Grand Ethiopian Renaissance Dam. *Nature Communication*

नील नदी जल के उपयोग को लेकर मतभेद हाल के नहीं हैं, बल्कि इन देशों की नील पर निर्भरता के कारण काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। सन् 1929 में मिस्र और ग्रेट ब्रिटेन के बीच नील नदी के जल के उपयोग के संबंध में एक समझौता हुआ था। एंग्लो-मिस्र संधि में नील नदी और उसकी सहायक नदियों से संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया गया था। इस समझौते के तहत मिस्र को प्रति वर्ष 48 बिलियन क्यूबिक मीटर जल आवंटित किया गया, और सूडान को 4 बिलियन क्यूबिक मीटर जल आवंटित किया गया, जबकि वार्षिक औसत उत्पादन 84 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित था। इसके अतिरिक्त सन् 1929 के समझौते ने मिस्र को नील नदी या उसकी किसी भी सहायक नदी पर निर्माण परियोजनाओं पर वीटो शक्ति प्रदान की ताकि नील नदी में जल प्रवाह में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जा सके। सन् 1959 में, मिस्र और स्वतंत्र सूडान ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने मिस्र और सूडान दोनों के लिए जल आवंटन में वृद्धि की, मिस्र का जल आवंटन 48 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर और सूडान का 4 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 18.5 बिलियन क्यूबिक मीटर कर दिया गया, जिससे रिसाव और वाष्पीकरण के लिए 10 बिलियन क्यूबिक मीटर रह गया। अंततः समझौते में यह निर्धारित किया गया की यदि वार्षिक जल उत्पादन में वृद्धि होती है, तो बड़ी हुई उपज को दोनों निचली तटीय राज्यों (अर्थात मिस्र और सूडान) के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। सन् 1959 के समझौते ने, 1929 की एंग्लो-मिस्र संधि की तरह अन्य तटीय राज्यों की जरूरतों की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसमें इथियोपिया भी शामिल है, जिसके उच्च भूमि से नील नदी में बहने वाले जल का 80 प्रतिशत से अधिक आता है।⁸

1960 के दशक से पहले, नील जल आवंटन में मुख्य रूप से द्विपक्षीय समझौतों (मिस्र और सूडान के बीच) का प्रभुत्व था। हालांकि, 1959 के समझौते के आस पास के तर्कों के बावजूद 1960 के दशक के अंत से नील तटीय देशों ने बहुपक्षीय सहयोगात्मक पहलें स्थापित करने का निर्णय लिया। उदाहरणस्वरूप, हैड्रोमेट (1967), उंदगु (1983) और टेकोनाइल (1992) शामिल हैं। हालांकि, इन सहयोगात्मक पहलों की उपलब्धियां बहुत सीमित रही और वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही। क्योंकि इनमें सभी नील तटीय देशों को शामिल नहीं किया गया था, विशेष रूप से इथियोपिया, केन्या और तंजानिया जैसे प्रमुख उपतटीय देशों द्वारा सदस्य बनाने से इनकार करने के कारण।

⁸ <https://www.brookings.edu/articles/the-limits-of-the-new-nile-agreement/#ftnt1>

1990 के दशक के मध्य में, सभी नील तटीय देशों ने एक बहुपक्षीय सहयोगात्मक संगठन स्थापित करने की तैयारी की, ताकि एक साझा दृष्टिकोण पर काम किया जा सके। फरवरी 1999 में दस नील तटीय देशों ने **नील बेसिन पहल (NBI)** की स्थापना की, जो बेसिन में पहला सहयोगात्मक पहल था जिसमें सभी तटीय देशों को शामिल किया गया था। इरिट्रिया ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया और उस समय दक्षिण सूडान एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। एन. बी. आई. का उद्देश्य तटीय देशों के मध्य सहयोग, आपसी विश्वास को बनाए रखना और बेसिन में सभी के लिए लाभकारी परिणामों की तलाश करना था।

कई वार्ताओं के बाद मिस्र और सूडान को मजबूत करते हुए, सभी देशों ने 14 मई 2010 को एटेंबे (युगांडा) में **सहयोगात्मक ढांचा समझौता (CFA)** का उद्घाटन कर समझौते पर हस्ताक्षर किया और अपनी सहमति व्यक्त की। अब तक छह राज्यों ने सी.एफ.ए. पर हस्ताक्षर किए हैं (तंजानिया, रवांडा, इथियोपिया, केन्या, बुरुंडी और युगांडा), जिन्होंने यह दावा किया की वे अपने उपयोग के लिए पानी को मोड़ने के लिए अब मिस्र और सूडान ने इस ढांचे का विरोध किया और मान्यता नहीं दी क्योंकि यह उनके ऐतिहासिक अधिकारों को चुनौती देता है, और इसलिए नील नदी पर उनके प्रभुत्व को दोनों देशों ने सी.एफ.ए. हस्ताक्षर के जवाब में सभी एन. बी. आई. गतिविधियों में अपनी भागीदारी को स्थगित कर दिया।⁹ जब इथियोपिया ने सन् 2011 में नील नदी पर अफ्रीका के सबसे बड़े पन बिजली सयंत्र **ग्रांड इथियोपीयन रेनेसांस (GERD)** के निर्माण की योजना की घोषणा की तो उसके निचले तटीय पड़ोसी देश मिस्र ने इस खबर को बहुत उत्साह से नहीं लिया। निचले तटीय देशों पर प्रभावों का प्रवाह किए बगैर इथियोपिया ने बांध के निर्माण का एकतरफा निर्णय लिया, यह मानने से इनकार करते हुए की इसका निचली नील नदी के प्रवाह पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ब्लू नील नदी के निचले हिस्से में स्थित एक मात्र अन्य देश सूडान ने जी.ई.आर.डी. के बारे में समय के साथ बदलती हुई स्थिति अपनाई। प्रारंभ में बांध का विरोध करने के बाद, सूडान ने अपनी राय बदल ली, और माना की एक अच्छी तरह से प्रबंधित

⁹ Diriba, H., Bulo, B., Barecha, K., Diriba, D., Diriba, B., & Fayera, M. (2021). *Transboundary Conflict Management of the Nile River Basin: Past, Present, and Future*. International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM), 3(9 sep 2021), 297-318. <https://doi.org/10.35629/5252-03097318>

जी.ई.आर.डी. से विनियमित जल प्रवाह और बढ़ी हुई बिजली आपूर्ति के साथ देश को सकारात्मक योगदान मिल सकता है।¹⁰

नील नदी को लेकर मिस्र और इथियोपिया के मध्य भू-राजनीतिक विवाद, विशेष रूप से **ग्रांड इथियोपियन रेनेसांस डैम** के निर्माण पर केंद्रित है। क्षेत्रीय अभिकर्ताओं जैसे की सऊदी अरब, कतार, तुर्की और यू.ए.ई. की भागीदारी से मुद्दे में जटिलता बढ़ गई है, जिसमें उनका वित्तीय और राजनीतिक समर्थन नील बेसिन संकट को प्रभावित कर रहा है। सूडान की जी.ई.आर.डी. के प्रति बदलती स्थिति, उसकी राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित होकर स्थिति को और जटिल बना रही है। मिस्र के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए चीन का संभावित समर्थन व्यापक भू-राजनीतिक प्रभावों को रेखांकित करता है।¹¹

मेकांग नदी बेसिन -

मेकांग नदी, जो लगभग 4350 किमी लंबी है, दुनिया की 12वीं और एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी हिमालय पर्वत से निकलती और दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। यह नदी दक्षिण-पूर्व एशिया के छह राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके अलग-अलग जल योगदान हैं; चीन (16%), म्यांमार (2%), कंबोडिया (19%), लाओस (35%), थाईलैंड (17%) और वियतनाम (11%)। ये राज्य उच्च (चीन और म्यांमार) और निम्न (थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, और वियतनाम) मेकांग नदी बेसिन में विभाजीत हैं। इस बेसिन में नदी के किनारे रहने वाले 80 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, और लगभग 85% निवासी अपनी आजीविका के लिए नदी पर निर्भर हैं, जैसे की मछली पकड़ना, धान की खेती करना मत्स्य पालन और फसलों का उत्पादन इत्यादि।

मेकांग नदी ने क्षेत्रीय विकास में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन यह कई शताब्दियों से मानव संघर्षों और विवादों का केंद्र भी रही है। हालांकि, तटीय राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए, बेसिन में सहयोग 20वीं सदी के मध्य में जिनेवा समझौते(1954) पर औपचारिक हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ, जब लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे नए संप्रभु राज्यों ने क्षेत्र में शत्रुता को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाई।

¹⁰ Almesafri, A., Abdulsattar, S., Alblooshi, A., Al-Juboori, R. A., Jephson, N., & Hilal, N. (2024). Waters of Contention: The GERD and Its Impact on Nile Basin Cooperation and Conflict. *Water*, 16(15).

<https://doi.org/10.3390/w16152174>

¹¹ Jamo, A., Valladares, I., Hatten, J., & Ademola, O. (n.d.). *Analysis of the Nile Water Crisis*. Theowp.org.

चित्र: 2. मेकांग नदी बेसिन¹²

सन् 1957 में, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा एशिया और सुदूर पूर्व निचले मेकांग बेसिन में स्थित देशों द्वारा जल संसाधनों के व्यापक विकास को संबोधित करने के लिए **मेकांग नदी समिति** की स्थापना की गई। यह संगठन केवल निम्न मेकांग बेसिन के देशों के सदस्यों तक सीमित था क्योंकि उस समय चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था और म्यांमार ने भाग लेने में रुचि नहीं दिखाई थी।

सन् 1977 में, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम ने कंबोडिया की अनुपस्थिति में अंतरिम मेकांग समिति का गठन किया। सन् 1991 में, जब कंबोडिया ने पुनः प्रवेश करने का अनुरोध किया, तो व्यापक बातचित शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप सन् 1995 में **मेकांग नदी आयोग (MRC)** का गठन हुआ। एम.आर.सी. ने मेकांग समिति को प्रतिस्थापित किया। चार राज्यों ने मेकांग बेसिन के सतत विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और अपने संयुक्त जल संसाधनों के प्रबंधन और नदी की आर्थिक क्षमता में सुधार के लिए सहमति व्यक्त की। सन् 1996 में, चीन और म्यांमार एम.आर.सी. संवाद सहयोगी बने और राज्य सहयोगात्मक ढांचे में एक साथ काम कर रहे

¹² स्रोत- Gupta, A. D. (2011). *Challenges And Opportunities For Integrated Water Resources Management In Mekong River Basin*. Researchgate

हैं। बेसिन में चीन ने पहली बार 1 अप्रैल 2002 को आपसी लाभ के लिए मेकांग नदी पर जलविज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए।¹³

एम.आर.सी., 1995 के मेकांग समझौते को लागू करने के लिए तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। वर्तमान में, एम.आर.सी. चार सदस्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त बेसिन-व्यापी योजना प्रक्रिया चला रहा है, जिसे बेसिन विकास योजना कहा जाता है, और यह इसके एकीकृत जल संसाधन विकास कार्यक्रम का आधार है। एम.आर.सी., मछली पालन, बाढ़ प्रबंधन और जल विद्युत के खोज के क्षेत्रों में भी सक्रिय है। हर साल पाँच वर्ष में प्रकाशित होने वाली एम.आर.सी. की स्टेट ऑफ बेसिन रिपोर्ट (SOBR), जल से संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है और आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा करती है। एस.ओ.बी.आर. की 2019 में प्रकाशित हुई तीसरी शृंखला के अनुसार, मेकांग बेसिन में बनाए गए जलाशय बांध की वजह से नदी का प्रवाह बदल गया है, जिससे बाढ़ के मैदानों में तलछट के जमाव में काफी कमी आ रही है।¹⁴

मेकांग नदी के चारों ओर जल राजनीति अत्यंत जटिल और विवादास्पद है, जिसमें कई देशों और भू-राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की एक शृंखला शामिल है। मेकांग नदी जो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है, लाखों लोगों की आजीविका के लिए आवश्यक है। उच्च तटीय देशों जैसे चीन के पास उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण नदी के प्रवाह पर महत्वपूर्ण नियंत्रण है। चीन ने ऊपरी मेकांग पर कई बांधों का निर्माण करते हुए व्यापक जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे निम्न तटीय देशों में जल प्रवाह में कमी और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंता बढ़ गई है।

सन् 1995 में स्थापित मेकांग नदी आयोग का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, चीन और म्यांमार पूर्ण सदस्य नहीं हैं, जिससे उच्च तटीय कार्यों पर एम.आर.सी. का प्रभाव सीमित हो जाता है। लाओस में जायाबूरी बांध का निर्माण, जो निचले मेकांग पर पहला बांध होगा, ने वाद-विवाद को बढ़ा दिया है, जो विकास की जरूरतों और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है। चीन की महत्वपूर्ण जलविद्युत योजनाओं

¹³ Diriba, H., Bulu, B., Barecha, K., Diriba, D., Diriba, B., & Fayera, M. (2021). *Transboundary Conflict Management of the Nile River Basin: Past, Present, and Future*. International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM), 3(9 sep 2021), 297-318. <https://doi.org/10.35629/5252-03097318>


¹⁴ https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=6014&lid=4142

और मेकांग नदी आयोग (एम.आर.सी.) के प्रयासों जैसे क्षेत्रीय गतिविधियों में भागीदारी मेकांग नदी के संसाधनों के प्रबंधन में नाजुक संतुलन की आवश्यकता को उजागर करती है।

सिंधु नदी बेसिन -

सिंधु नदी और उसकी कई सहायक नदियाँ मिलकर सिंधु नदी बेसिन बनाती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.12 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह बेसिन समुद्र तल से 0 से 8600 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस बेसिन का अधिकांश हिस्सा भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का 47 प्रतिशत और भारत का 39 प्रतिशत हिस्सा है। शेष 8 प्रतिशत चीन और 6 प्रतिशत अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी बेसिन उत्तर में हिमालय से शुरू होकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शुष्क जलोढ़ मैदानों तक फैला हुआ है और अंत में अरब सागर में मिल जाता है।

चित्र: 3. सिंधु नदी बेसिन¹⁵



पाकिस्तान में यह बेसिन लगभग 5,20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सम्मिलित करता है, जिसमें खैबर, पंजाब, पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के सभी हिस्से शामिल हैं। भारत में यह बेसिन जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में लगभग 4,40,000

¹⁵ Karim, M. M., & Bindra, N. (2016). Cumulative impact assessment for Sindh barrages. *Taylor and Francis*

वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र को लेकर सम्मिलित करता है। चीन में इसका 88,000 वर्ग किलोमीटर और अफगानिस्तान में 72,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इस बेसिन में लगभग 300 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए सिंधु बेसिन के विभिन्न हिस्सों के बीच असमानता और प्रत्येक देश की हिस्सेदारी के प्रभाव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चुनौतियों को जन्म देते हैं।¹⁶

सिंधु नदी भारत के विभाजन से पहले भी पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच तनाव का कारण बनी हुई थी। सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने जल को प्रांतीय विषय बना दिया था। इससे पहले जल को कार्यकारणी आदेशों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। सन् 1939 में सिंध ने पंजाब द्वारा जल की निकासी पर आपत्ति जताई और गवर्नर-जनरल से पंजाब सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा का अनुरोध किया। सन् 1941 में सिंधु आयोग की स्थापना हुई, जिसने सन् 1942 में अपनी रिपोर्ट में कहाँ की पंजाब द्वारा जल की निकासी से सिंध की नहरों को नुकसान होगा और पूरे सिंध बेसिन के लिए एक प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश की। हालांकि, यह रिपोर्ट दोनों प्रांतों को स्वीकार्य नहीं थी। सन् 1943 से 1945 के बीच दोनों प्रांतों के मुख्य इंजीनियरों की कई बैठके हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। सन् 1947 की शुरुआत में इस मुद्दे को लंदन में भारत के राज्य सचिव के पास भेजा गया। यह मुद्दा तब तक अनिर्णित रहा जब तक अगस्त 1947 में भारत का विभाजन नहीं हो गया और मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चला गया। इस प्रकार, अंतर्राज्यीय विवाद पीछे छूट गया।¹⁷

सन् 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान दो नए देशों का गठन हुआ। इस विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप का केवल राजनीतिक नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि जल बटवारे के मुद्दे पर संघर्ष को भी जन्म दिया। सीमा के दोनों ओर सिंचाई प्रणालियों का विस्तृत नेटवर्क सिंधु नदी प्रणाली को जटिल बनाता है। विभाजन के बाद, सिंधु बेसिन की सभी नदियों के स्रोत भारतीय क्षेत्र में स्थित थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस नदी प्रणाली पर अपने-अपने दांवे पेश कर रहे थे। पाकिस्तान के नए शासकों को भारतीयों के मंशा पर संदेह था और उन्हें यह खतरा था की भारत, पाकिस्तान से होकर बहने वाले जल के स्रोतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। दूसरी ओर, भारत को भी अपने विकास के लिए सिंधु बेसिन के जल

¹⁶ Bhat, R. M. (2020). *Water Politics in South Asia: A Study of Indus Water Treaty and Its impact on Jammu and Kashmir State*. Sodhganga.

¹⁷ Mehsud, M. I., Adnan, M., & Jan, A. (2020). *The Hydropolitics of the Indus Water Treaty: A Critical Perspective*. Global Strategic and Security Studies.

की आवश्यकता थी। इस प्रकार, विभाजन ने जल-बटवारों के मुद्दे को और अधिक जटिल बना दिया, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद और टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई।

भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद के समाधान के लिए वार्ता विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुई। सन् 1947 में, दोनों देशों के मुख्य अभियंताओं की मुलाकात हुई और उन्होंने "स्टैन्डिस्टिल समझौते" पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते में नदी के दोनों बिन्दुओं पर जल आवंटन को 31 मार्च 1948 तक फ्रिज कर दिया गया, जिससे भारत से पाकिस्तान में जल प्रवाह रह सके। "स्टैन्डिस्टिल समझौता" अप्रैल 1948 में समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद भारत ने दीपालपुर नहर और ऊपरी बारी दोआब नहर की मुख्य शाखाओं में जल की आपूर्ति बंद कर दी। वार्ता 30 अप्रैल 1948 को फिर से शुरू हुई और 4 मई 1948 के अंतर प्रांतीय समझौते के तहत जल का बंटवारा किया गया। इस समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान बेसिन क्षेत्रों में पर्याप्त जल छोड़ना था, जिसके बदले पाकिस्तान से वार्षिक भुगतान प्राप्त करना था। यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकी और 1949 में पाकिस्तान ने इस समझौते को अवैध घोषित कर दिया और जुलाई 1950 तक भुगतान बंद कर दिया।

सन् 1951 तक सभी वार्ता बंद हो गई और विवाद समाधान असंभव प्रतीत होने लगा। पूर्व टेनिस वैली अथारिटी और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डेविड लिलिएंथल ने सुझाव दिया की विश्व बैंक इसमें मध्यस्थता कर सकता है और सिंधु विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। इसके बाद, सन् 1952 में कारांची और सन् 1953 में नई दिल्ली में बैठके हुई। विश्व बैंक ने दोनों पक्षों से अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। जल आवंटन के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच व्यापक अंतर था। पाकिस्तान ने सिंधु नदी की सभी सहायक नदियों पर अपने ऐतिहासिक अधिकार पर जोर दिया, जबकि भारत ने तर्क दिया की जल का पूर्व वितरण का मानक भविष्य के आवंटन के मानक नहीं बनने चाहिए। सन् 1954 में विश्व बैंक के द्वारा तीन पूर्वी नदियों को भारत और तीन पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को देने के लिए प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए अस्वीकार था, जबकि भारत द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। आशंकाओं के बावजूद भी पाकिस्तान वार्ताओं से बाहर नहीं निकल सका। सिंधु नदी जल संधि में अंतिम बाधा पूर्वी नदियों से पानी को पाकिस्तान तक पहुंचाने हेतु नहरों और जलाशयों के निर्माण के लिए वित्तपोषण की समस्या थी। विश्व बैंक ने सुझाव दिया की पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर बैराज और नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि पूर्वी नदियों के पानी की कमी को पूरा किया जा सके और ये सुझाव दिया की इनके निर्माण के लागतों का वहन भारत को करना होगा, लेकिन शुरुआती दौर में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। गतिरोध तब समाप्त हुआ जब

विश्व बैंक द्वारा यह सुझाव दिया गया की भारत दस वर्षों की अवधि में 62 मिलियन पाउंड की एक निश्चित राशि समान किशतों में भुगतान करेगा, और बैंक दाता की सहायता से पाकिस्तान को नहरों और बैराज के निर्माण में मदद प्रदान करेगा। इस संधि पर अंततः सन् 1960 में हस्ताक्षर किए गए।¹⁸

इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी बेसिन के सहायक नदियों का विभाजन किया गया। भारत को तीन पूर्वी सहायक नदियाँ- रवि, सतलज और व्यास नदी पर अधिकार दिया गया जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर अधिकार दिया गया। पश्चिमी सहायक नदियाँ पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत के विवादित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरती हैं। इस प्रकार, सिंधु नदी का मुद्दा जम्मू कश्मीर की स्थिति पर तटीय देशों के क्षेत्रीय विवाद के साथ घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है।¹⁹

भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी विवाद बहुत पुराना मुद्दा है, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा किया है। पाकिस्तान सरकार ने भारत पर सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें बांधों का निर्माण करना, जल को मोड़ना तथा जल को देश के खिलाफ हथियार के रूप में अपयोग करना शामिल है। हाल के वर्षों में, इस संधि को भारतीय सरकार द्वारा राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने की चिंताएं बढ़ी हैं। 2016 में, जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में एक आतंकवादी हमले के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संधि पर विचार करने का संकेत दिया था। हालांकि की मोदी के इस बयान को कई लोगों ने कश्मीर में राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास के रूप में देखा, जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का औचित्य शामिल था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा और स्वायत्तता प्रदान करता है।²⁰

तुलनात्मक विश्लेषण -

नील, मेकांग तथा सिंधु तीनों ही विश्व की मत्वपूर्ण सीमापार नदी बेसिन हैं, जो अपने भू-भाग में लाखों लोगों के जीवन निर्वाह में योगदान करती हैं। ये नदियाँ कृषि, मछली पालन, ऊर्जा उत्पादन तथा जैव विविधता को बनाए रखने का कार्य करती हैं। लेकिन बदलती हुई जलवायु, जनसांख्यिकी तथा जल स्रोतों के बढ़ते हुए उपयोगों के कारण सीमापार जल साझा को लेकर देशों के मध्य तनाव

¹⁸ K. A., B. L., Kolas, A., Barkved, L., Edelen, K., Hoelscher, K., Holen, S., Jahan, F., Jha, H., & Miklian, J. (2013). *Water Scarcity in Bangladesh: Transboundary Rivers, conflict and Cooperation*. Peace Research Institute Oslo (PRIO).

¹⁹ Zawahri, N., & Michel, D. (2018). Assessing the Indus Water Treaty from a comparative perspective. *Water International*. <https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1498994>

²⁰ <https://earth.org/river-disputes/>

बढ़ रहे हैं। इन तीनों नदी बेसिनो के मध्य कुछ समानताएं एवं असमानताएं हैं जिसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं।

- तीनों नदी बेसिनों में उच्च तटीय एवं निम्न तटीय देशों के मध्य सामंजस्य की कमी है। नील नदी के निम्न तटीय देश मिस्र तथा उच्च तटीय देश इथियोपिया के मध्य तनाव **गैंड इथियोपिया रेनेसांस डैम** को लेकर है। मेकांग नदी बेसिन में उच्च तटीय देश चीन तथा निम्न तटीय देश कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तथा थाइलैंड के मध्य तनाव है। वहीं सिंधु नदी बेसिन में निम्न तटीय देश पाकिस्तान तथा उच्च तटीय देश भारत के मध्य है। निम्न तटीय देशों द्वारा उच्च तटीय देशों का जलस्रोतों पर प्रभुत्व स्थापित करने का आरोप लगाया जाता है। उच्च तटीय देशों के द्वारा बिना विचार-विमर्श के एकतरफा बांध का निर्माण करना, जिससे निम्न तटीय देशों को जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है।
- नदी जल से संबंधित समझौतों एवं वार्ताओं में देशों की पूर्ण भागीदारी का अभाव है। नील नदी को लेकर सन् 2010 में हुए **कम्प्रीहेन्सिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट** को अक्टूबर 2024 को कानूनी स्थिति प्रदान की गई जिसका मिस्र एवं सूडान द्वारा पूर्ण विरोध किया गया। हाल ही में सितंबर 2024 में भारत द्वारा पाकिस्तान को सूचना प्रस्तुत किया गया की बदलती हुई पर्यावरणीय स्थिति, जलवायु परिवर्तन तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखकर सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन पाकिस्तान द्वारा इस प्रस्ताव को इन्कार कर दिया गया। सन् 1995 में, मेकांग नदी बेसिन के संबंध बने **मेकांग रिवर कमिशन** में चीन तथा म्यांमार ने सदस्यता नहीं ली। आगे चलकर 2002 में केवल पर्यवेक्षक के रूप में दोनों देश शामिल हुए।
- सीमापार जल की राजनीति बांधों के निर्माण से प्रभावित है। नील नदी पर इथियोपिया द्वारा जी.ई.आर.डी. के निर्माण का विरोध प्रमुख रूप से मिस्र द्वारा किया जा रहा है। मिस्र की प्रमुख चिंता है की यदि इथियोपिया द्वारा बांध का निर्माण किया गया तो, नीचली बेसिन क्षेत्र में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लाखों आजीविका प्रभावित होंगी। भारत द्वारा बनाए जा रहे किशनगंगा एवं बगलिहार बांध को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद है। पाकिस्तान का तर्क है की भारत द्वारा बांध निर्माण से निचली बेसिन क्षेत्रों में जल की कमी होगी, जबकि भारत का तर्क है की बांध का निर्माण सिंधु जल संधि का उल्लंघन नहीं है और ना ही जल की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। मेकांग नदी पर चीन द्वारा बांध निर्माण निम्न तटीय देशों; वियतनाम, कंबोडिया, लाओस द्वारा विरोध किया गया,

हालांकि बाद में लाओस ने भी 2012 में जायबूरी परियोजना के तहत बांधों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध वियतनाम एवं कंबोडिया के सरकारों द्वारा की गया।

- तीनों नदी बेसिनो से संबंधित कानूनी ढांचों में सिंधु जल संधि (1960) ज्यादा स्थायी है। मेकांग रिवर कमिशन की शक्तियां सिंधु जल संधि के तुलना में सीमित है, क्योंकि सिंधु नदी बेसिन को लेकर हुए विवाद सुलझाने हेतु विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है और स्थायी सिंधु आयोग (पी.आई.सी.) के गठन की व्यवस्था की गई है, जो जल से संबंधित विवाद एवं जल बटवारों पर सुझाव प्रस्तुत करती है। लेकिन मेकांग नदी आयोग के संबंध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्योंकि चीन एम.आर.सी. का सदस्य नहीं है, जिससे चीन द्वारा निर्माण परियोजनाओं से संबंधित आकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है। मिस्र और सूडान द्वारा भी नील नदी बेसिन से संबंधित एफ.सी.ए. जैसे समझौता को इनकार कर दिया गया और अपनी औपनिवेशिक समझौतों (1929 तथा 1959 का समझौता) को बनाए रखने का दावा किया, जिससे सभी देशों के मध्य सामंजस्य की कमी के कारण विवाद को सुलझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- सिंधु जल संधि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय समझौता है, जिससे विवादों को सुलझाना नील एवं मेकांग बेसिन के तुलना में आसान है। जबकि नील नदी बेसिन एवं मेकांग नदी बेसिन से संबंधित समझौते बहुपक्षीय समझौते हैं, जिससे सभी देशों के मध्य मतैक्य लाना मुश्किल हो सकता है।

निष्कर्ष -

नील, मेकांग तथा सिंधु नदी के मध्य तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है की सीमापार नदी जल विवाद भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित है। अक्सर नदी बेसिन के उच्च तटीय देशों जैसे, इथियोपिया, भारत तथा चीन आदि देशों द्वारा नदी जल का आसानी से उपयोग किया जाता है, जबकि निम्न तटीय देश जैसे, मिस्र, सूडान, पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा थाईलैंड को जलस्रोतों के उपयोग हेतु ऊपरी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। नदी जल को लेकर राजनीतिक तनाव भी बने रहने है। भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले से ही दोनों देशों के मध्य आतंकवाद मुद्दा तथा जम्मू और कश्मीर विवाद को लेकर आपसी तनाव

बने हुए हैं। मिस्र पर बाहरी अभिकर्ता जैसे चीन का प्रभाव नदी जल विवाद को प्रभावित कर रहे हैं। बदलती हुई जलवायु तथा बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी जरूरते देशों के मध्य जल संकट को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मिस्र और सूडान द्वारा अपनी औपनिवेशिक संधियों पर अडिग रहना आज के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

संभावनाएं -

1. उच्च तटीय देशों; चीन, इथियोपिया तथा भारत द्वारा बांध निर्माण परियोजनाओं से संबंधित आकड़ों को बेसिन के सभी हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि संबंधों में पारदर्शिता आए और आपसी सामंजस्य को बनाए रखने में मदद मिले।
2. नदी विवाद को हल करने हेतु क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे- अफ्रीकी यूनियन, आसियान, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र आदि की मदद से विवाद को हल किया जा सकता है।
3. उच्च तटीय देशों, निम्न तटीय देशों तथा स्थानीय हितधारकों के मध्य वार्ता तथा आपसी समझ के माध्यम से नदी जल विवाद को कम किया जा सकता है।
4. बेसिन के सभी हितधारक देशों द्वारा एक आयोग का निर्माण किया जाए तथा प्रत्येक देश द्वारा एक-एक तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किया जाए ताकि जल प्रवाह, बांध निर्माण आदि से संबंधी मानक प्रस्तुत किया जा सकें।
5. जल से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियों अभिसमयों जैसे - हेलसिंकी नियम(1966), संयुक्त राष्ट्र वटरकोर्स कन्वेंशन(1997), पारराष्ट्रीय जलमार्ग और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन(1992) आदि की सहायता ली जा सकती है।

संदर्भ सूची -

- K. A., B. L., Kolas, A., Barkved, L., Edelen, K., Hoelscher, K., Holen, S., Jahan, F., Jha, H., & Miklian, J. (2013). Water Scarcity in Bangladesh: Transboundary Rivers, conflict and Cooperation. *Peace Research Institute Oslo (PRIO)*.
- Mohamoda, D. Y. (2019, January 26). Nile Basin Cooperation. *Www.Researchgate.net*. Retrieved December 21, 2024, from <https://www.researchgate.net/publication/317200696>

- Diriba, H., Bulo, B., Barecha, K., Diriba, D., Diriba, B., & Fayera, M. (2021). Transboundary Conflict Management of the Nile River Basin: Past, Present, and Future. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 3(9 sep 2021), 297-318. <https://doi.org/10.35629/5252-03097318>
- Bhat, R. M. (2020). *Water Politics in South Asia: A Study of Indus Water Treaty and Its impact on Jammu and Kashmir State*. Sodhganga.
- Mehsud, M. I., Adnan, M., & Jan, A. (2020). The Hydropolitics of the Indus Water Treaty: A Critical Perspective. *Global Strategic and Security Studies Review*, V(IV), 1-8. [https://doi.org/10.31703/gsssr.2020\(V-IV\).01](https://doi.org/10.31703/gsssr.2020(V-IV).01)
- F, N. (2014). Water: A Cause of Power Politics in South Asia. *WIT Transaction on Ecology and the Environment*, 178. <https://doi.org/10.2495/WS130091>
- Mirumachi, N. (2015). Transboundary Water Politics in the Developing World. *Earthscan Studies in Water Resource Management*.
- Phon, S. (2021, May 9). Comparative Study on The Implementation of Water Diplomacy: Focusing on The Indus and Mekong Rivers. *Researchgate.net*. Retrieved December 21, 2024, from <https://www.researchgate.net/publication/351436093>
- Zawahri, N., & Michel, D. (2018). Assessing the Indus Water Treaty from a comparative perspective. *Water International*. <https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1498994>
- Almesafri, A., Abdulsattar, S., Alblooshi, A., Al-Juboori, R. A., Jephson, N., & Hilal, N. (2024). Waters of Contention: The GERD and Its Impact on Nile Basin Cooperation and Conflict. *Water*, 16(15). <https://doi.org/10.3390/w16152174>
- Jamo, A., Valladares, I., Hatten, J., & Ademola, O. (n.d.). *Analysis of the Nile Water Crisis*. Theowp.org.

- Darwish, H. (2024). The Nile Cooperative Framework Agreement: Implications for Egypt, Sudan, and Japan's Strategic Interests in African Stability.
- <https://www.brookings.edu/articles/the-limits-of-the-new-nile-agreement/#ftnt1>
- <https://policy-wire.com/water-wars-dilemma-lower-riparian-countries/?form=MG0AV3>
- <https://www.mrcmekong.org/geography/#:~:text=The%20Mekong%20River%20is%20the,large%20delta%20into%20the%20sea>
- <https://earth.org/river-disputes/>
- <https://www.usip.org/publications/2023/02/india-and-pakistan-are-playing-dangerous-game-indus-basin>
- <https://www.middleeastmonitor.com/20230907-a-significant-field-of-diplomacy-trans-boundary-water-politics/>
- https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_transboundary_water_sep2018.pdf
- <https://climate-diplomacy.org/case-studies/water-conflict-and-cooperation-between-india-and-pakistan>
- <https://www.aljazeera.com/news/2024/9/22/is-the-indus-waters-treaty-the-latest-india-pakistan-flashpoint>
- <https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/disputes-for-rivers-the-indus-the-mekong-and-the-nile>
- <https://www.aljazeera.com/news/2024/9/22/is-the-indus-waters-treaty-the-latest-india-pakistan-flashpoint>
- <https://climate-diplomacy.org/case-studies/dam-projects-and-disputes-mekong-river-basin>
- https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=6014&lid=4142